वार्षिक लेखा

2010 - 11

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर IV बी, प्रथम तल
भारत पर्यावास केन्द्र
लोदी रोड़,नई दिल्ली -110003.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2011 के वार्षिक लेखो का इंडेक्स

क्रम सं.	सूची संख्या	पृष्ठ संख्या
1	आडिट रिपोर्ट	1-3
2	तुलन पत्र	4
3	आय एवं व्यय लेखा (योजना)	5
4	आय एवं व्यय लेखा (गैर योजना)	6
5	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	7-10
6	अनुसूची 1 से 18	11-20
7	अनुसूची 19-20 दिनांक 31/3/2011 कि स्थिति के अनुसार लेखों और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों तथा तुलन पत्र के संरचना पर टिप्पाणियाँ	21-25

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखे पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 25 के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखे से संलग्न तुलनपत्र और आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अदायगी लेखा की लेखा परीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी है । हमारी जिम्मेवारी, हमारे द्वारा इन वित्तीय विवरणों पर की गई लेखा परीक्षा पर मत व्यक्त करना है ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल लेखा ट्रीटमेंट पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक(सी ए जी) की टिप्पणियां हैं । यह टिप्पणियां वर्गीकरण, अनुरूपता, सर्वोत्तम लेखा व्यहवर्ताओं, लेखा मानकों और प्रकट किए गए प्रतिमानों आदि के संबंध में विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य तथा नियमत्ता) और निपुणता-सह निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्टों में अलग से दिखाई गई हैं ।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा, प्रायः भारत में स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है । इन मानकों मे यह अपेक्षा की गई है कि हम लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन भौतिक गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों के संबंध में तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करते हैं । एक लेखा परीक्षा में, टैस्ट बेसिज, प्रमाण, राशिओं के संबंध में समर्थन दस्तावेज और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल हैं । लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा नियम का जायजा लेना और प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, हमारे मत का औचित्य आधार है ।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि

i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षण प्रयोजन के लिए आवश्यक थे को प्राप्त कर लिया है ।

ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं ।

iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा लेखे की पुस्तकें और संबंधित रिकार्ड जहां तक हमारे द्वारा इनकी जांच की गई है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उचित रूप से रखा गया है जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, अधिनियम, 1985 की धारा 33 (i और ii) द्वारा अपेक्षा की गई है ।

iv) हम आगे सूचित करते हैं:-

लेखों पर टिप्पणियां

क. **सहायता अनुदान**

रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड ने वर्ष के दौरान 55.64 करोड़ रूपये (50 करोड़ रूपये योजना के अन्तर्गत, 2.50 करोड़ गैर योजना के अन्तर्गत और 3.14 करोड़ रूपये आर.आर.टी.एस अध्ययन के लिए) सहायता अनुदान प्राप्त की है। 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार संगठन ने वर्ष के दौरान 55.64 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग किया है और उसमें से कोई भी राशि ऐसी नहीं बची है जो खर्च नहीं की गई है।

ख. **प्रबंधन पत्र**

कमियां, जिन्हें अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है सुधार लाए जाने हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र द्वारा सदस्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की जानकारी में ला दी गई हैं ।

v) पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों को छोड़ कर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखे, लेखा पुस्तकों के अनुसार हैं ।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखों पर लेखाकरण नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित वित्तीय विवरण और इस लेखा परीक्षा के संलग्नक -I में उलिल्खित अन्य मामलें भारत में प्राय स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांत के अनुरूप सही और निष्पक्ष प्रकटन करते हैं:

क. जहां तक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के मामलों के संबंध में तुलन पत्र संबंधित है; और

ख. जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष की आय और व्यय लेखे का संबंध है ।

ह/.
(आनंद मोहन बजाज)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षण
आर्थिक और सेवा मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.09.2011

संलग्नक -I

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में कमी:** बोर्ड में अभी तक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को विकसित नहीं किया गया है। संबंधित मंत्रालय द्वारा भी कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की जाती है और न ही किसी आंतरिक लेखा परीक्षा की नियुक्ति की गई है। संगठन में गतिविधियों के प्रभावी प्रबोधन और वित्तीय लेनदेन के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कमी:** बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्तियों और भुगतानों तथा तीन हजार सात सौ करोड़ रूपये के अंतर्ग्रस्त वाले इतने बड़े तुलन पत्र को ध्यान में रखते हुए तथा बोर्ड के आकार और गतिविधयों के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है। वित्तीय मामलों पर प्रभावी नियंत्रण तथा रिकार्डों /सहायक रजिस्टरों अर्थात् निवेशों चैकों और बैंकों, अनुदान, व्यय नियंत्रण रजिस्टरों और उपर्युक्त कैश बुक आदि के रखरखाव के लिए पर्याप्त जनशक्ति और पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

3. **नियत परिसम्पतियों की वास्तविक जांच की प्रणाली**

नियत परिसम्पतियों का राजिस्टर, यद्यपि उसे रखा जा रहा है, दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में जैसा कि अपनाया गया है नियत परिसम्पतियों में रिग्रुपिंग को नहीं दर्शाता है। बोर्ड द्वारा रखा गया नियत परिसम्पति रजिस्टर से तुलन पत्र शीट में रिग्रुपिंग से जांच नहीं की जा सकी। परिसम्पतियों की वास्तविक जांच की गई परन्तु इसमें बेकार अथवा अनुपयोज्य स्टाफ को बट्टे खाते में डाले जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
तुलन पत्र

(राशि रूपयों मे)

कायिक/पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
एनसीआरपीबी निधि (कायिक/पूंजी निधि)	1	23173841571	21589247352
विशेष आरक्षिति (Special Reserve)	2	2155600000	570000000
निर्धारित/विन्यास निधियां	3	0	26841504
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	5000000000	0
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	6000000000	7000000000
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं और प्रावधान	6	513632779	216738659
योग		**36843074350**	**29402827515**
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पतियां	7	9759376	11023687
निर्धारित/विन्यास निधियों से निवेश		0	0
पीएफ/एनपीएस का निवेश	8	17277421	15546937
चालू परिसम्पतियां, ऋण, अग्रिम आदि	9	36816037553	29376256891
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाली गई अथवा समायोजित न की गई मात्रा तक)		0	0
योग		**36843074350**	**29402827515**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	19		
आकास्मिक देयताएं और नोट्स आन एकाउन्टस	20		

ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (योजना)

(राशि रूपयों मे)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलन पत्र में स्थानांतरण	तुलन पत्र में स्थानांतरण
शुल्क व अभिदान		0	0
निवेश से निर्धारित/विन्यास निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों से आय		9675	20735
अर्जित ब्याज	10	2431477813	1859643530
अन्य आय	11	52499796	7519586
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर		0	0
योग (क)		**2483987284**	**1867183851**
<u>व्यय</u>			
स्थापना व्यय	12	4457621	3075399
अन्य प्रशासिनक व्यय आदि	13	9660485	6955457
अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय			
बाजार ऋण पर व्यय	14	873159544	506800696
अनुसूची - 7 से संबंधी मूल्यहास		1428813	1480133
योग (ख)		**888706463**	**518311685**
व्यय (क-ख) की तुलना में आय से अधिक शेष		1595280821	1348872166
आयकर/फ्रिंज लाभकर का प्रावधान		0	0
आयकर/ एफ बी टी (वि वर्ष 2003-04)प्रावधान (written back)		(273956403)	0
आयकर/एफ बी टी (वि वर्ष 2004-05) प्रावधान(written back)		(261324955)	0
आयकर/एफ बी टी (वि वर्ष 2005-06)प्रावधान (written back)		(246698602)	0
आयकर/एफ बी टी (वर्ष 2006-07) प्रावधान(written back)		(318976607)	0
एन.सी.आर सैल पर व्यय (31.3.09) तक के लिए प्रावधान		0	1105778
एन.सी.आर सैल व्यय के लिए प्रावधान		17864676	16650556
बांड रिडम्पशन रिर्जव (बी.आर.आर) में अंतरण		1585600000	285000000
आय और व्यय लेखा (गैर-योजना) में अंतरण		8178493	10147239
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अन्तरण		**1084594219**	**1035968593**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	19		
आकस्मिक देयताएं और नोट्स ऑन एकाउन्टस	20		

ह./-	ह./-	ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (गैर-योजना)

(राशि रूपयों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
एम ओ यू डी से सहायता अनुदान		25000000	29500000
शुल्क व अभिदान		0	0
जी पी एफ व एन पी एस के निवेश से आय	15	934171	1011126
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		0	0
अर्जित ब्याज		0	0
अन्य आय	16	10235	23695
आय और व्यय लेखा(योजना) से अन्तरण		8178493	10147239
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		0	0
योग (क)		**34122899**	**40682060**
व्यय			
स्थापना व्यय	17	21104125	24082112
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	18	4114676	4961283
अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय			
योग (ख)		**25218801**	**29043395**
व्यय की तुलना में आय की अधिकता से शेष (क -ख)		8904098	11638665
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		1684859	1177950
छुटटी नकदीकरण के लिए प्रावधान		2836922	1724097
पेंशन (वर्तमान) के लिए प्रावधान		2841895	4121864
पेंशन (रिटायर्ड) के लिए प्रावधान		1540422	4614754
व्यय की तुलना में आय की शुद्ध अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो, निधि में अन्तरण		**0**	**0**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	19		
आकस्मिक देयताएं और नोटस आनॅ एकाउन्टस	20		

ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
I. अथ शेष						
(क) हाथ में रोकड़	22766	22766		21923	21923	
(ख) बचत खाते में बैंक बैलेंस	540379016	540379016		1533335336	1533335336	
(ग) बचत खाता में शेष भविष्य निधि	8238270		8238270	2391292		2391292
(घ) बचत खाता नई पेंशन योजना मे शेष	471		471	14196		14196
उपयोग	**548640523**	**540401782**	**8238741**	**1535762747**	**1533357259**	**2405488**
II. प्राप्त अनुदान						
(क) शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से	525000000	500000000	25000000	529500000	500000000	29500000
(ख) शहरी विकास मंत्रालय से आर.आर.टी. एस अध्यन के लिए	31412000	31412000	0	53683010	53683010	0
III. निवेश पर आय (भविष्य निधि/ एन.पी.एस.)						
(क) बचत बैंक ब्याज	282436		282436	175775		175775
(ख) भविष्य निधि जमा पर ब्याज	558139		558139	987268		987268
IV. प्राप्त ब्याज						
(क) राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए गए ऋण पर	2245552810	2245552810		1522295846	1522295846	
(ख) बचत बैंक (आटोस्वेप एफ डी आर सहित)	56008357	56008357		62666269	62666269	
(ग) बैंक जमाओं पर	60094771	60094771		641096	641096	
(घ) स्टाफ को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज	0	0	0	2821		2821
V. अन्य आय						
(क)रा.रा.क्षे.प्रकाशनों की बिक्री	9675	9675		20735	20735	
(ख) पहचान पत्रों के गुम हो जाने से सूचना अधिकारी फीस	200		200	0		
(ग) आर.टी.आई.	1318		1318	0		
(घ) समाचार पत्रों की बिक्री	1717		1717	0		
(ङ) परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान	0		0	0		
(च) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	0		0	14163		14163
(छ) भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	0		0	300		300
(ज) एम.ओ.यू.डी. से अध्यन प्रतिपूर्ति	0	0	0	7519586	7519586	0

(झ) आयकर रिफंड	1700015624	1700015624	0			
(ण) आयकर रिफंड पर ब्याज	52499796	52499796	0			
VI <u>उधार रकम</u> (क)रा.रा.क्षे.यो.बो कर योग्य बॉड	5000000000	5000000000	0	1349000000	1349000000	0
(ख) अल्प अवधि ऋण बैंकों से	0	0	0	1000000000	1000000000	0
VII. अन्य प्राप्ति						
(क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण का पुनर्भगतान	4983284844	4983284844		3538003117	3538003117	
(ख) भुनाई गई सावधि जमा	3285000000	3285000000		390000000	390000000	
(ग) भविष्य निधि/एन पी एस निवेशों की परिपक्वता	2640000		2640000	5900000		5900000
(घ) बयाना राशि /सिक्योरिटी डीपोजिट	527500		527500	8384		8384
(च) स्टॉफ को विविध अग्रिम	32050		32050	64223		64223
(छ) पेट्रोल अग्रिम	0		0	1120		1120
(ज) यात्रा अग्रिम	139486		139486	321137		321137
(झ) छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	113070		113070	134682		134682
(ङ) वाहन/ कम्पूटर अग्रिम की नकद वसूली	0		0	19460		19460
(ट) प्रतिनियुक्त कर्मचारी वसूली	3120		3120	251634		251634
(ठ) एल आई सी से प्राप्त वसूल किया गया जी आई एस धन	45673		45673	0	0	
(ड) भविष्य निधि/एन पी एस नीधि की रोकड़ की कटौती	0		0	364118		364118
(ढ) स्त्रोत पर कर की कटौती	8955926		8955926	6145479		6145479
(ण) राज्यों को दिए गए ऋण से अधिक प्राप्तियां	963064		963064	563972		563972
(ल) जी पी एफ (निकासी) वापिसी	0		0	150000		150000
(व) स्टाफ कार की ब्रिकी	0		0	26026		26026
योग	**18501782099**	**18454279659**	**47502440**	**10004222968**	**9957186918**	**47036050**

ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपयों में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
I. व्यय						
(क) स्थापना व्यय (अनुसूची-12 एवं 17 संबंधी)	31312627	11211733	20100894	25433150	3743759	21689391
(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-13 एवं 18 संबंधी)	14254086	9644466	4609620	38365749	33631169	4734580
(ग) बाजार ऋण पर व्यय	588700760	588700760	0	479714426	479714426	
II. राज्य सरकार/ऐजेंसियों को बांटे गए कर्जे	5987768000	5987768000	0	8145555500	8145555500	
III. किए गए निवेश और जमा						
(क) सावधि जमा में निवेश की गई राशि	3000000000	3000000000		390000000	390000000	
(ख) भविष्य निधि / एन पी एस	10000000	0	10000000	2500000		2500000
(ग) अन्य:-बी आर आर	1870600000	1870600000		285000000	285000000	
IV. सावधि परिसम्पत्तियों पर व्यय						
(क) सावधि परिसम्पत्तियों की खरीद	164502		164502	1222891		1222891
V. राज्य सरकार को बेशी धन/ऋणों की प्रतिदायगी	1494152	1494152				
VI. ऋणों और अग्रिमों का भुगतान						
(क) स्टॉफ को अन्य अग्रिम	219032		219032	347732		347732

(ख) जी पी एफ से अग्रिम/आहरण	2334141		2334141	930020		930020
(ग) यात्रा अग्रिम	159450		159450	118103		118103
(घ) बैंक से अल्पअवधि ऋण	1000000000	1000000000				
VII. अन्य भुगतान						
(क) रा.रा.क्षेत्रों के बांडों का मोचन				0		
(ख) बयाना राशि	750000	750000		2000		2000
(ग)आयकर/स्त्रोत पर कटौती	20457266	20457266		80230609	80230609	
(घ) दिए गए अधिक ब्याज की प्रतिदायगी	638011	638011		78637		78637
(ङ) जी आई एस निधि के लिए भुगतान	38524		38524	27360		27360
(च)स्त्रोत पर कर की क्टौती	13173319		13173319	4068838		4068838
(छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारी वसूली	231586		231586	465077		465077
(ज) नई पेंशन स्कीम निधि का भुगतान	387432		387432	1522353		1522353
(झ) आर.आर.टी एस का भुगतान	63171570	63171570	0			
VIII. इति शेष						
(क) हाथ में रोकड़ (अग्रदाय सहित)	33022	33022		22766	22766	
(ख) बचत खाते में बैंक बैलेंस	5893378991	5893378991		540379016	540379016	
(ग) बचत खाते में बैंक बैलेंस (भविष्य निधि)	2514973		2514973	8238270		8238270
(ध) बचत खाते में बैंक बैलेंस (एन पी एस)	655		655	471		471
योग	**18501782099**	**18447847971**	**53934128**	**10004222968**	**9958277245**	**45945723**

ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयों में)

रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कायिक/पूंजी निधि)	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के शुरूआत में शेष	21589247352	20052324460
जोड़ेः दिल्ली सरकार से अनुदान/अंशदान	0	0
जोड़ेः एम ओ यू डी से अंशदान	500000000	500000000
जोड़ेः आय तथा व्यय लेखा (योजना) सें अन्तरित	1084594219	1035968593
जोड़ेः आय तथा व्यय लेखा (गैर-योजना) से अन्तरित	0	0
जोड़ेः जी आई एस निधि का खर्च न किया गया शेष	0	954299
वर्ष समाप्ति पर शेष	**23173841571**	**21589247352**

अनुसूची-2
(राशि रूपयों में)

विशेष रिजर्व	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बांड रिडम्पशन रिजर्व		
पिछले लेखों के अनुसार	570000000	285000000
वर्ष के दौरान जमा	1585600000	285000000
वर्ष के दौरान घटाया	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**2155600000**	**570000000**

ह./-	ह./-	ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

अनुसूची-3
(राशि रूपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निर्धारित/कायिक निधि **क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (आर आर टी एस) गलियारों के लिए डी पी आर प्रस्तुत करने हेतु अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान**		
क) वर्ष के शुरूात में शेष	26841504	0
ख) जोडें:वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	31412000	53683010
उप-योग	**58253504**	**53683010**
ग) आर आर टी एस अध्ययन हेतु उपयोग/व्यय - आर आर टी एस के लिए डी पी आर तैयार करने हेतु मोबीलाईज़ेशन हेतु शुल्क	58253504	26841506
वर्ष के अन्त में निबल शेष (क + ख - ग)	**0**	**26841504**

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

अनुसूची-4

(राशि रूपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
सुरक्षित ऋण तथा उधार		
निजी स्थापन बांड		
एन.सी.आर.पी.बी. कर योग्य बांड (2020)सीरीज- I	5000000000	0
योग	**5000000000**	**0**

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

अनुसूची-5
(राशि रूपयों में)

असुरक्षित ऋण तथा उधार	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. निजि स्थापन बांड़		
क. रा.रा.क्षे.यो.बो. कर योग्य बांड 2018	2000000000	2000000000
ख. रा.रा.क्षे.यो.बो. कर योग्य बांड 2019 सीरिज I	2651000000	2651000000
ग. रा.रा.क्षे.यो.बो. कर योग्य बांड 2019 सीरिज II	1349000000	1349000000
उप-योग	**6000000000**	**6000000000**
2. बैंकों से ऋण		
क. भारतीय स्टेट बैंक से अल्प अवधि ऋण	0	450000000
ख. कारपोरेशन बैंक से अल्प अवधि ऋण	0	550000000
उप-योग	**0**	**1000000000**
सकल योग	**6000000000**	**7000000000**

ह./- डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)	ह./- निदेशक (प्र.एवं वि.)	ह./- सदस्य सचिव

अनुसूची-6

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयों में)

चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
सांविधिक देयताएं		
1. सामान्य भविष्य निधि	16316979	14376054
2. नई पेंशन योजना निधि	0	0
3. जी आई एस निधि	33569	0
4. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	13120	19874
5. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से स्त्रोत पर कर की कटौती	87073	3193090
6. अतिशोध्य	205000	205000
उप-योग	**16655741**	**17794018**
उधार पर ब्याज पोदभूत देय नहीं:-		
1. रा.रा.क्षे.यो. बो. कर योग्य बांड-2018	29031233	29031233
2. रा.रा.क्षे.यो. बो. कर योग्य बांड-2019 सीरिज-I	39209379	39209379
3. रा.रा.क्षे.यो. बो. कर योग्य बांड-2019 सीरिज-II	18927394	18927394
4. रा.रा.क्षे.यो. बो. कर योग्य बांड-2020 सीरिज-I	285369863	0
5. बैंकों से अल्प अवधि के त्रण	0	1246575
उप-योग	**372537869**	**88414581**
अन्य चालू देयताएं		
1. भुगतेय खर्चे	2447501	3075706
2. बयाना	459655	689655
3. राज्य सरकारों/एजेंसियों से ऋणों की अपेक्षा अधिक प्राप्तियां	855658	1386746
उप-योग	**3762814**	**5152107**
प्रावधान:-		
1. कर्मचारियों के सेवानिवृत लाभों के लिए		0
क. ग्रेच्युटी	9273899	7910460
ख. पेंशन (वर्तमान)	26774057	23932162
ग. पेंशन (रिटायर्ड)	14935454	15222478
घ. छुट्टी नकदीकरण	16921695	14108923
उप-योग	**67905105**	**61174023**
2. रा.रा.क्षे. प्रकोष्ट व्यय देय		
क. शुद्ध प्रावधान 31.3.09 तक	23202474	27553374
ख. 2009-10 के लिए प्रावधान	11704100	16650556
ग. 2010-11 के लिए प्रावधान	17864676	
उप-योग	**52771250**	**44203930**
कुल योग	**513632779**	**216738659**

ह./-	ह./-	ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
वर्ष 2010-11 के लिए अचल सम्पत्तियों

(राशि रूपयों में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
सावधि सम्पत्तियों	1.4.2010 के शुरू के अनुसार लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	31.3.2011 वर्ष के अन्त के अनुसार (लागत) मूल्यांकन	वर्ष के शुरू के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अन्त तक कुल	वर्तमान वर्ष के अन्त अर्थात 31.3.2011 तक के अनुसार	पिछले वर्ष के अंत अर्थात 31.3.2010 के अनुसार
भवन क्रार्यालय स्थान-भा.प. केन्द्र	8649548.00	0	0.00	8649548.0	864955	0.00	0.00	864955.0	7784593.00	8649548.0
वाहन	877543.99	0	0.00	877543.99	131631.60	0.00	0.00	131631.60	745912.39	877543.9
फर्नीचर/फिक्सचर	502579.89	29945	0.00	532524.89	50462.60	2252.00	0.00	52714.60	479810.29	502579.8
कार्यालय उपकरणे	592768.49	15600	0.00	608368.49	88915.28	2340.00	0.00	91255.28	517113.21	592768.4
कम्पयूटर पेरीफेरियल	332629.71	107500	0.00	440129.71	199577.83	64500.00	0.00	264077.83	176051.88	332629.7
विद्युत इन्सटालेशनज़	5250.60	0	0.00	5250.60	525.06	0.00	0.00	525.06	4725.54	5250.6
पुस्तकालय पुस्तकें	15662.00	9657	0.00	25319.00	10395.60	6221.50	0.00	16617.10	8701.90	15662.0
अन्य अचल परिसम्पत्तियाँ	47704.41	1800	0.00	49504.41	6901.38	135.00	0.00	7036.38	42468.03	47704.4
कुल योग	11023687	164502	0.00	11188189	1353364	75449	0.00	1428813	9759376	1102368

ह./- डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)	ह./- निदेशक (प्र.एवं वि.)	ह./- सदस्य सचिव

अनुसूची-8

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयों में)

निवेश-अन्य	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) जी पी एफ निधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	3411385	3411385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक के साथ एफ डी आर)	10000000	2500000
3. शेयर्स	0	0
4. डिबन्वर्स तथा बांडस	1000000	1140000
5. इमदाद तथा संयुक्त उद्यम	0	0
6. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	350408	256812
बचत बैंक शेष	2514973	8238269
उप-योग	**17276766**	**15546466**
(ख) नई पेंशन योजना		
1. भारतीय स्टेट बैंक में एफ डी आर	0	0
2. बचत बैंक शेष	655	471
उपयोग	**655**	**471**
कुल योग	**17277421**	**15546937**

ह./-	ह./-	ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

अनुसूची-9

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. चालू परिसम्पत्तियां:		
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुस्तकों और प्रकाशन का स्टॉक	296642	302480
2. लेखन सामग्री का स्टाक	176611	98361
3. विविध देनदार		
क) छः माहे की अवधि से अधिक के बकाया ऋण	98361	98361
ख) अन्य (एम टी एन और जी एम टी में प्रतिभूति)	20648	28148
उपयोग	119009	126509
4. हाथ में नकद शेष	33022	22766
5. बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों के साथ		
- बचत खाते पर (आटो स्वेप एफ डी आर सहित)	5893378991	540379016
- बचत खातें में रखी बी.आर.आर	0	285000000
उपयोग	5893378991	825379016
- बी आर आर की एफ डी आर	2155600000	285000000
- अन्य- एफ डी आर	0	0
उपयोग	2155600000	285000000
योग (क)	8049604275	1110830771
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण	714841	932773
क) स्टाफ को अग्रिम		
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	56500	52000
ii) एल टी सी अग्रिम	0	0
iii) पेट्रोल अग्रिम	4400	4400
iv) विविध अग्रिम	2100	3100
उप-योग	63000	59500
ग) राज्य सरकारें/क्रियान्वयन एजेंसियों को ऋण	27966289073	26961449946
2. वसूले जाने वाले अग्रिम और अन्य राशियाँ		
क) पूर्व भुगतेय व्यय	0	0
ख) वसूली योग्य अग्रिम आय कर एवं स्त्रोत पर कर कटौती (कर का शुद्ध प्रावधान)	120197499	698813837
ग) आर.आर.टी.एस के लिए प्राप्त योग्य अनुदान	4918066	0
उप-योग	125115565	69881387
3. प्रोदभूत आय		
क) एफ डी आर पर देय नहीं प्रोदभूत ब्याज पर	29909383	9456095
ख) ऋण पर प्राप्त ब्याज	631842820	593291652
ग) स्टॉफ ऋण पर प्रोदभूत ब्याज	1486061	1422317
घ) बचत खाते पर प्रोदभूत ब्याज	11012535	0
उप-योग	674250799	604170064
योग (ख)	28766433278	28265426120
योग (क) + (ख)	36816037553	29376256891

ह./-	ह./-	ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

अनुसूची-10

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) का अनुसूची संरचना भाग

	अर्जित ब्याज	**चालू वर्ष**	**पूर्ववर्ती वर्ष**
1.	**सावधि जमाओं पर:**		
क)	अनुसूचित बैंकों में	80548059	10787121
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों में	0	0
ग)	संस्थाओं में	0	0
घ)	अन्य	0	0
2.	बचत खातों पर:		
क)	**अनुसूचित बैंकों में**		
	बचत बैंक ब्याज: 61213517.00 रूपये		
	आटो स्वेप एफ डी आर पर ब्याज: 5807375.00 रूपये	67020892	60663123
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों में	0	0
ग)	डाकघर बचत खाता	0	0
घ)	अन्य	0	0
3.	**ऋणों पर:**		
क)	राज्य सरकारों/अनके क्रियान्वयन एजेंसियों को दिए गए ऋण पर ब्याज	2283797176	1787204100
ख)	कर्मचारियों/स्टॉफ को दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	86924	110646
ग)	अन्य -राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए गए ऋण पर पैनल ब्याज (Penal interest)	24762	878540
	योग	**2431477813**	**1859643530**

अनुसूची-11

	अन्य आय	**चालू वर्ष**	**पूर्ववर्ती वर्ष**
क)	एम ओ यू डी से प्रतिपूर्तिः (एन.सी.आर. पर इंटीग्रेटड ट्रांसपोर्ट प्लान अध्यन)	0	7519586
ख)	निर्धारण वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए आयकर वापसी पर प्राप्त ब्याज	52499796	0
	योग	**52499796**	**7519586**

ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-12

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयें में)

स्थापना व्यय (योजना)	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन और मजदूरी (आंतरिक प्रोदभवन से भुगतान)	2936968	2100984
ख) अन्य - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकोष्ठ व्यय	1520653	974415
योग	**4457621**	**3075399**

अनुसूची-13

(राशि रूपयें में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुस्तकों और प्रकाशन की लागत	5838	11137
ख. अध्ययन और सर्वेक्षण	5863261	5130710
ग. विज्ञापन और प्रचार	755050	276209
घ. बोर्ड / अन्य बैठको पर होने वाला व्यय	72726	494281
ङ प्राजेक्ट एप्राईज़ल फीस (Project Appraisal Fee)	1113060	962722
च उप-क्षेत्रीय योजनाओं (रा.रा.क्षे.) का तैयार किया जाना	1395800	0
छ. संगोष्टी/प्रशिक्षण	454750	36613
ज. एन.सी.आर प्रकोष्ट के लिए टैक्सी व्यय	0	43785
योग	**9660485**	**6955457**

अनुसूची-14

(राशि रूपयें में)

बाजार ऋण पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) बांडों पर ब्याज	824629563	494668044
ख) लिस्टिंग शुल्क	217181	162031
ग) रेटिंग ऐजेंसी प्रभार	335496	3088400
घ) रजिस्ट्रार और स्थानान्तरण एजेंट प्रभार	44201	21301
ड.)रा.रा.क्षे.यो.बो के कर योग्य बांडस पर कारपोरेट एक्शन शुल्क/कस्टोडियन शुल्क	2206	56253
च) अरेंजर फीस	4963500	1339190
छ) रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के बांड आवेदन पर ब्याज	14284661	4491247
ज) ट्रस्टीशिप फीस	55000	25000
झ) रा.रा.क्षे.यो.बो के कर योग्य बॉड 2019 पर स्टैम्प डयूटी	0	838605
ण) निगरानी फीस	1204108	808900
य) वार्षिक कस्टोडियल फीस एन एस डी एल/सी डी एस एल	110300	55150
र) बैंकों से अल्पअवधि के त्रणों पर ब्याज	23813323	1246575
ल) रा.रा.क्षे.यो.बो कर योग्य बॉड 2020 पर स्टैम्प डयूटी	3500005	0
योग	**873159544**	**506800696**

ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-15

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर योजना) अनुसूची संरचना भाग

राशि रूपयों में)

भविष्य निधि निवेश पर आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) भविष्य निधि निवेश पर ब्याज	651735	748680
ख) भविष्य निधि के बचत बैंक खातों पर ब्याज	282252	159622
ग) एन.पी.एस निवेश पर ब्याज	0	61409
च) एन.पी.एस बचत खाता पर ब्याज	184	41415
योग	**934171**	**1011126**

ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-16

अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान		
1. बांड मनी/वेतन और भत्तों की वसूली	0	832
2. भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	0	300
3. स्टॉफ कार के उपयोग हेतु वसूली	7000	8400
4. पुराने समाचार पत्रों की बिक्री	1717	0
5. आर टी आई फीस	1318	1230
6. पहचान पत्र खो जाने पर	200	100
7. लेक्चर डिलीवरी प्राप्त पर मानदेय से विविध आय	0	12833
योग	**10235**	**23695**

ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-17

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर-योजना) का अनुसूची संरचना भाग

स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वेतन (मूल + डी पी)	9761320	14314745
भत्ते और बोनस	9387592	7841484
एन पी एस के लिए अंशदान	218519	229660
सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ	0	0
अन्य		
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	326318	513071
जी पी एफ एकाउंट पर ब्याज	1135405	928862
एन पी एस एकाउंट पर ब्याज	0	76653
भर्ती व्यय	84290	14800
सम्पदा निदेशालय को भुगतान किया गया लाईसेंस शुल्क	88794	108943
समाचार पत्र और आवधिक पत्रिकाएं	52942	53894
जमा सम्बन्ध बीमा योजना	48945	0
योग	**21104125**	**24082112**

अनुसूची-18

प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विद्युत और जल प्रभार	45274	38532
हाउस कीपिंग	692256	603249
मरम्मत और रखरखाव	105475	339410
किराया, मूल्य और कर	901693	1016698
वाहन चालन और रखरखाव	346742	346809
पोस्टेज, टेलीफोन और प्रभार	491751	568562
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	139565	434432
यात्रा तथा वाहन व्यय	521095	379714
संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	79938	96310
आई एच सी अभिदान व्यय	0	0
कानूनी शुल्क पर व्यय	180000	376543
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0	210725
आतिथ्य खर्च	158464	108161
व्यावसायिक शुल्क	375499	349750
विज्ञापन और प्रचार	0	0
अन्य	76924	92388
योग	**4114676**	**4961283**

ह./- डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)	ह./- निदेशक (प्र.एवं वि.)	ह./- सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार लेखों और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों जो संबद्ध है तथा तुलन पत्र के संरचना भाग है पर टिप्पणियां ।

1. **लेखाकरण अभिसमय:**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और लेखाकरण के प्रोद्भवन तरीके आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक अन्यथा नीचे वर्णित लेखाकरण नीतियों में न बताए गए हों ।

2. **लेखों का नया फार्मेट और नजदीकी रूपयों तक आंकड़ों को पूर्णांकित करना:**

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बोर्ड के लेखे प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं । वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी रूपयों तक पूर्णांकित किया गया है । आय और व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में पिछले वर्ष के आंकड़े जहां आवश्यक हुआ है, पुन: समूहित किए गए है।

3. **आय मान्यता:**

सभी आय को प्रोद्भवन (Accural) आधार पर मान्यता दी गई है ।

4. **नियत परिसम्पत्ति:**

(क) नियत परिसम्पत्तियां मूल्यहास का प्रभार लगाने के पश्चात् ह्रासित मूल्य पर बतायी जाती है ।

(ख) नियत परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार डब्ल्यू डी वी तरीके से प्रभारित किया गया है । मूल्यहास चार्ट परिसम्पत्तियों की ब्लॉक के बजाए प्रत्येक परिसम्पत्ति अलग प्रदर्शित करते हुए तैयार किया गया है। मूल्यहास आय और व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया गया है ।

(ग) 2009-10 के लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा ने ये देखा कि नियत परिसम्पतियाँ अनुसूची लेखे के अनुमोदित फारमेट में तैयार नहीं किया गया है। तदनुसार लेखा परीक्षा टिप्पणी का पालन करते हुए नियत परिसम्पति अनुसूची के आंकड़े/शीर्ष अनुमोदित में तैयार किया गए हैं और नियत परिसम्पतियों के आंकड़े/शीर्षों को बिना किसी प्रभाव के पुन: ग्रुप किया गया है।

5. **व्यय की मान्यता:**

एल टी सी के भुगतान को छोड़कर जिसे नकद आधार पर लिया जाता है, सभी व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है ।

6. **सेवा निवृति लाभ:**

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बीमांकिक आधार पर एन स आर पी बी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् छुटटी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए आवश्यक प्रावधान

31.3.2011 की स्थिति के अनुसार वर्ष के लिए बोर्ड के आय और व्यय लेखों (गैर-योजना) तथा तुलन पत्र को बनाया गया है। वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के आन्तरिक प्रोद्भवन से तैयार किये जा रहे है और तदनुसार प्रति वर्ष आवश्यक निवल राशि ही आय और व्यय लेखें (योजना) से आई आर ई लेख (गैर-योजना) में अंतिरत की जाती है।

ख) बोर्ड समान्य भाविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनाभोगी कल्याण विभाग द्वारा मान्यता दी गई है। सामान्य भविष्य निधि के लिए ब्याज की देयता संगत वर्ष में राजस्व से प्रभारित की गई है और बोर्ड के भाविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है।

ग) नई पेंशन योजनाः

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्ती वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एन पी एस) शुरू की है। कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तद्अनुसार नई पेंशन योजना के लिए निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंकों में मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया जाता है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने दिनांक 17.8.2009 का. ज्ञा. द्वारा अनुदेश जारी किए थे कि एन पी एस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों के अनिवार्य रूप में नेशनल स्क्युिओरटी डिपॉजटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई में पंजीकृत करना है। इसके अनुपालन में, सितम्बर 2009 में एन एस डी एल, सी आर ए में आवश्यक पंजीकरण कराए गए है। एन एस डी एल, सी आर ए द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार, एन पी सी बी परिधि में आए बोर्ड के पांच कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एन पी एस निधियां एन एस डी एल, सी आर ए, मुम्बई को अंतिरत की गई हैं। बोर्ड 5 एन पी एस कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि को एन एस डी एल, सी आर ए मुम्बई को भेज रहा है। बोर्ड के 6 कर्मचारियों के संबंध में एन पी एस निधि का रखरखाव अब एन एस डी एल, सी आर ए मुम्बई द्वारा किया जा रहा है।

घ) समूह बीमा देयता

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एल आई सी के साथ समूह बीमा योजना नामक एक नई पॉलिसी शुरू की है और इसके प्रोद्भूत होते ही ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से एल आई सी को 6,91,873/- रूपये अंतिरत किए है। बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौतियॉं कर रहा है और उसे एल आई सी को प्रतिमाह भेजता है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र के समय उनका दावा एल आई सी को ब्याज सहित बचत भुगतान तथा बीमा कवर, जहां भी लागू हो भेज दिया जाता है।

7. एन सी आर पुस्तकें और प्रकाशन

बेंची गई और मानार्थ प्रति के रूप में निःशुल्क वितरित की गई एन सी आर पुस्तकें और प्रकाशनों की लागत की आय और व्यय लेखा (योजना) से प्रमाणित किया जाता है तथा वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉफ को लागत पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

8. **योजना और गैन-योजनागत लेन-देन**

प्रत्येक योजना और गैर-योजना लेन देन के लिए अलग से प्राप्तियॉ और भुगतान लेखा तथा आय व व्यय का विवरण तैयार किया जाता है।

9. **अध्ययन और सर्वेक्षण**

अध्ययनों और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्ययों को आय व व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किया जाता है। तथापि, चालू वर्ष 2010-11 के दौरान क्षेत्रीय त्वरित ट्रंजिट प्रणाली (आर आर टी एस) गलियारों के लिए डी पी आर की तैयारी हेतु अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान के रूप में 3,14,12,000/- रूपये प्राप्त हुए थे जिसे शीर्ष निर्धारित निधि के अन्तगर्त अलग से दर्शाया गया है। तदनुसार, 2010-11 के दौरान इस प्रयोजन हेतु किए गए व्यय अलग से अनुदान के उपयेाग को दर्शाने के लिए इस निधि में प्रमाणित किया गया है।

10. **एन सी आर योजना और अनुवीक्षण प्रकोष्ठ**

(क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एन सी आर प्रकोष्ठ पर व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित एन सी आर प्रकोष्ट/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात् एन सी आर पी बी द्वारा संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है । चूंकि ये दावे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की वित्त वर्ष की समाप्ति तथा वित्त वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते हैं अत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकोष्ठों पर होने वाले व्यय को गत वर्षों में प्रकोष्टों के विगत दावे के आधार पर आवश्यक प्रावधान किया गया है। एन सी आर प्रकोष्टों के संबंध में 31.3.2010 तक देय व्ययों के लिए 4,42,03,930/-रू का प्रावधान, वर्ष 31-3-2010 को समाप्त वार्षिक लेखे के साथ सम्बध तुलन पत्र की अनुसूची-5 दर्शाया गया है।

(ख) वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित समायोजन लेखों के माध्यम से पारित किए गए थे

(i) राजस्थान प्रकोष्ठ को वर्ष 2008-09 को देय व्यय की 4350900/-रू और वर्ष 2009-10 के लिए 4946456/-रू की व्यवस्था की गई थी परन्तु इस की तुलना में वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 के लिए क्रमश: 51,37,472/-रू और 56,80,537/-रू का वास्तविक भुगतान किया गया। अत: 7,86,572/-रू और 7,34,081/- रू (कुल 15,20,653/) की अतिरिक्त राशि, 31-3-10 की स्थिति के अनुसार किए गए प्रावधानों से कथित प्रकोष्ठ को अधिक दी गई थी जिसे लेखों के माध्यम से पारित किया गया था।

(ii) चालू वर्ष 2010-11 के लिए रा.रा.क्षेत्र प्रकोष्ठों के व्यय हेतु 1,78,64,676/- रू का निम्नानुसार प्रावधान किया गया है और उसे आय और व्यय लेखा (योजना) के लिए प्रभारित किया गया है।

राजस्थान	-	56,80,537/- रू
उत्तर प्रदेश	-	46,76,700/- रू
हरियाणा	-	64,63,082/-रू
दिल्ली	-	10,44,357/-रू
	कुल	1,78,64,676/-रू

11. **आयकर:-** उपयुक्त आयकर प्रधिकरण अर्थात वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली ने उनके आदेश संख्या डी जी आई टी (ई) 10 (23 सी) iv/2008 दिनांक 2.5.2008 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23सी) के उप खण्ड (IV) के आधीन निर्धारण वर्ष 2003-04 से, अनुमोदित कर दिया है। अब बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम

1961 धारा 10 (23सी) iv के अर्न्तगत आयकर देने से छूट प्राप्त है। इस स्थिति को देखते हुए वर्ष 2010-11 में बोर्ड के वार्षिक लेखाओं मे आयकर देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं।

" स्त्रोत पर कर की काई कटौती नही " के बारे में आवश्यक प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से पहले वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड को ब्याज की अदायगी पर उधार लेने वाली एजेन्सियों/बैंकों ने 2,04,42,719/-रू का स्त्रोत पर कर की कटौती कर ली। तदनुसार, वर्ष 2010-11 के लिए स्त्रोत पर की गई कटौती को, वर्ष 2010-11 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ सम्बध अनुसूची-9 में शीर्ष "अग्रिम और वसूल किए जाने योग्य अन्य राशि" के तहत स्त्रोत पर कर योग्य कटौती के रूप में दर्शाया गया है। इसके निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आयकर रिटर्न भर्ते समय आयकर विभाग से दावा कर लिया जाएगा।

(ग) निर्धारण वर्ष 2003-04 से बोर्ड की आय पर दिनांक 2.5.2008 के आयकर आदेश से आयकर अधिनियम, 1961 (धारा 10(23ग) के तहत छूट प्राप्त है। इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों में वित्त वर्ष 2004-05 से 2009-10 के लिए आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। वित्त वर्ष 2004-05 से 2009-10 से संबंधित वसूलनीय (निवल का प्रावधान) अग्रिम आयकर/स्त्रोत पर आयकर कटौती की 69,88,13,837/-रू की राशि को वर्ष 31-3-2010 को समाप्त के लिए बोर्ड के तुलन पत्र में दर्शाया गया था। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड को वित्त वर्ष 2003-04 से 2008-09 से संबंधित 175,25,15,420/-रू (इसमें 52499796/-रू की ब्याज राशि सम्मिलित है) की वापसी (Refund) प्राप्त हुई है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2003-04 से वित्त वर्ष 2006-07 के लिए आयकर के प्रावधान आयकर विभाग द्वारा वापिस किए स्तर तक लिखे गए है और उन्हें 31-3-2011 को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय (योजना) में अलग से दर्शाए गए हैं।

12. स्थापना व्यय (योजना) वेतन

अनूसूची-12 में शीर्ष स्थापना व्यय(योजना) के अन्तगर्त 2936968/-रूपये दर्शाए गए हैं जो बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से बोर्ड के पांच कर्मचारियों को भुगतान किए गए है। पांच पद 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित / स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए व्यय बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन (internal Accural) से किया जाना था। तदानुसार बोर्ड वर्ष 1999- 2000 से इन पांच पदों के वेतन व्यय को आय एवं व्यय लेखा (योजना) में दिखा रहा है जैसा कि प्रति वर्ष बोर्ड के वार्षिक लेखों में प्रकट किया जाता है।

13. रिडम्शन रिजर्व (बी आर आर) बांड का सृजन

बोर्ड ने फरवरी 2008 में 7 वर्ष की अवधि के लिए 200 करोड़ रूपये के करयोग्य बांडस प्राइवेट पेलेसमेंट आधार पर पूंजी बाजार (capital market) से जुटाए (raised) थे। सांविधानिक आवश्यकतानुसार उगहाने से पूर्व बाड़ों को वित्तीय रूप से क्रिसिल तथा फिच (CRISIL & FITCH) रेटिंग एजेन्सी से मूल्यांकन करवाया गया था। रेटिंग एनेन्सी ने कहा था कि बोर्ड द्वारा बांड रिडम्पशन रिजर्व इस प्रकार बनाया जाए कि परिपक्वता पर बांड रिडम्पशन राशि में बराबर का रिर्जव रहे। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने बांड इशू के माध्यम से 900 करोड़ रू की अतिरिक्त राशि उगाही है। यह सुन्शिचित करने के लिए कि बोर्ड परिपक्वता पर बोर्ड अपने आश्वासनों को पूरा कर सके। वर्ष 2008-09 में बोर्ड ने बॉड रिडम्पशन रिजर्व सृजित किया है और आय और व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित कर 158.56 करोड़ रूपये की राशि बी.आर.आर में अंतरित कर दी गई है। 31-3-11 की स्थिति के अनुसार बी.आर.आर में अब लेखे का कुल प्रावधान वर्ष 2010-11 के बोर्ड के वार्षिक लेखाओं के साथ जुड़ी अनुसूची-2 के अनुसार 215.56 करोड़ रू. है।

14. रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड ने अगस्त 2010 में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से (कर योग्य रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड बांड सीरीज़-1 (2020)) 500 करोड़ रूपए अगाहे हैं। सेबी के दिनांक 11 मई, 2009 के परिपत्र सं. एस ई बी आई/1 एम डी/ बाड़/1/2009/11/05 के अनुसरण में, बांड इशू के ट्रस्टी अर्थात कारर्पोरेशन बैंक के पास सभी वर्तमान और भविष्य बुक ऋणों पर नेगेटिव लीयन के द्वारा यह बांड सुरक्षित हैं।

15. 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार/क्रियान्वयन एजेंसियों को ऋणों/अग्रिमों का बकाया शेष जैसा कि वर्तमान परिसम्पत्तियों ऋणों अग्रिमों की अनुसूची-9 में दर्शाया गया है एन सी आर योजना बोर्ड की संबंधित ऋणदाता एजेंसियों से शेष की पुष्टि के आधीन है।

ह./-	ह./-	ह./-
डी डी ओ/उ.नि.(प्र.)	**निदेशक (प्र.एवं वि.)**	**सदस्य सचिव**